**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ**

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 70/2023

अनवान : –

1. गिरधारी पुत्र बिरजाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।

**– वादी**

**बनाम्**

1. हरफुल पुत्र बिरजाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. आदराम पुत्र बिरजाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. सन्तो देवी पुत्री बिरजाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
4. बन्तो देवी पुत्री बिरजाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
5. कान्ता पुत्री बिरजाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
6. शारदा देवी पुत्री बिरजाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

**– प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955**

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

**निर्णय** दिनांकः- 29/02/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 52/45 की कुल 0.6330 हैक्ट भूमि वादी की माता मीरा देवी पत्नी बृजलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मीरा देवी पत्नी बृजलाल के नाम दर्ज है जो कि वादी की माता है मीरा देवी पत्नी बृजलाल का देहान्त हो चुका है मीरा देवी पत्नी बृजलाल के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 6 है जो मीरा देवी पत्नी बृजलाल के नाम दर्ज भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 6 जो की वादी की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने भाईयों के पक्ष पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर ... जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:56:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी खाता संख्या 52/45, मृत्यु प्रमाण पत्र बहक नोरा देवी व शपथ पत्र बाबत सदस्य, मीरा देवी पत्नी बृजलाल के नाम के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत थालड़का द्वारा तस्दीक, वादी द्वारा मीरा देवी के नाम के संबंध में शपथ पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी की माता के नाम दर्ज है वादी की माता मीरा देवी पत्नी बृजलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। मृतका मीरा देवी व नोरा देवी एक ही महिला के नाम है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 52/45 की कुल 0.6330 हैक्ट भूमि वादी की माता मीरा देवी पत्नी बृजलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि वादी की माता मीरा देवी पत्नी बृजलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी स0 1 ता 2 के पक्ष में त्याग दिया है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से [illegible] कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ के आधार पर एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मीरा देवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:56:21 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पत्नी बृजलाल के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। मृतक मीरा देवी के नाम के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत थालड़का द्वारा तस्दीक प्रमाण पत्र एवं वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 52/45 की कुल 0.6330 हैक्ट भूमि मीरा देवी पत्नी बृजलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक मीरा देवी पत्नी बृजलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/02/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:36:21 IST
Reason: SelfAttested

# पर्चा डिक्री

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 70 / 2023
अनवान : –

1. गिरधारी पुत्र बिरजाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।

– वादी

**बनाम्**

1. हरफुल पुत्र बिरजाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. आदराम पुत्र बिरजाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. सन्तो देवी पुत्री बिरजाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
4. बन्तो देवी पुत्री बिरजाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
5. कान्ता पुत्री बिरजाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
6. शारदा देवी पुत्री बिरजाराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

**वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 70 सन 2023 निर्णय दिनांक** –29/02/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 52 / 45 की कुल 0.6330 हैक्ट भूमि मीरा देवी पत्नी बृजलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक मीरा देवी पत्नी बृजलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/02/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:36:21 IST
Reason: SelfAttested